न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या–4,उन्नाव।

उपस्थित– सौरभ श्रीवास्तव (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

फौजदारी मुकदमा सं0– 1178/19

श्रीमती तपेश्वरी उम्र 45 वर्ष पत्नी राम गोपाल गोस्वामी निवासिनी ग्राम जमाल नगर थाना औरास जिला उन्नाव।

–––––परिवादिनी।

बनाम

1– छेदा उम्र 55 वर्ष पुत्र रग्घा।
2– विशनू उम्र 35 वर्ष । पुत्रगण छेदा
3– रामबाबू उम्र 25 वर्ष।
4– राम मोहन उम्र 22 वर्ष।
सभी निवासीगण ग्राम जमाल नगर थाना औरास जिला उन्नाव।

–––––अभियुक्तगण।

धारा– 452,323 भा0दं0सं0
थाना– औरास, जिला उन्नाव।

निर्णय

प्रस्तुत वाद का विचारण अभियुक्तगण छेदा, विशनू, राममोहन व रामबाबू के विरूद्ध धारा 452,323 भा0दं0सं0 का अपराध थाना औरास , जिला उन्नाव के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया बनना पाये जाने पर ,विचारण हेतु न्यायालय द्वारा आहूत किये जाने पर प्रारम्भ हुआ ।

परिवाद के मुख्य तथ्य इसप्रकार है कि घटना दिनांक 07.8.15 समय करीब 11 बजे दिन में प्रार्थिनी घर में अकेली थी उसी समय गांव के छेदा पुत्र रग्घा, विशनू , रामबाबू व राममोहन पुत्रगण छेदा व दो अज्ञात व्यक्तियों के साथ नाजायज असलहा व लाठी डन्डा लेकर प्रार्थिनी के घर में घुसकर भद्दी भद्दी गालियां देते हुये लात घूसो व लाठी डन्डे से मारने पीटने लगे। जिससे प्रार्थिनी के गंभीर चोटे आने के कारण वही पर गिर गई शोर सुनकर पड़ोस के राकेश पुत्र शिवराम, सुभाष पुत्र रामविलास व तेजवीर पुत्र लक्ष्मी तथा अन्य गावं के लोगो ने मौके पर पहुंच कर बचाया तब वे लोग जान से मारने की धमकी देकर चले गये। प्रार्थिनी रिपोर्ट करने थाने उसी दिन गई थी लेकिन न तो रिपोर्ट लिखी गई और न ही डाक्टरी कराई गई जिसके बाद प्रार्थिनी ने आई चोटो का मेडिकल कराया व एक्सरे सरकारी अस्पताल उन्नाव में हुआ था। उक्त घटना से एक दिन पूर्व छेदा, विशनू, रामबाबू ने मिलकर प्रार्थिनी के लड़के पवन को खते में जानवर को चराने से मना करने के कारण मारा पीटा था जिसकी एन0सी0आर0 नं0 127/15 धारा 325 भा0दं0सं0 में दर्ज हुई थी और डाक्टरी कराई गई थी जिसमें थाना हाजा की पुलिस ने प्रार्थिनी के लड़के पवन पर एक तरफा 151

सीआर0पी0सी0 की कार्यवाही की थी घटना के समय घर के लोग पवन की जमानत कराने गये थे। प्रार्थिनी को घर में अकेला समझकर उक्त वारदात की थी। प्रार्थिनी ने पुलिस अधीक्षक उन्नाव को एक प्रार्थनापत्र दिनांक 13.8.15 को दिया था किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। प्रार्थिनी की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 में प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 17.1.15 को परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया ।

न्यायालय के द्वारा धारा 200 दं0प्र0सं0 में परिवादिनी व 202 दं.प्र.सं. में पी0डब्लू–1 राकेश व पी0डब्लू–2 सुभाष के बयान अंकित किये गये, उस पर विचारण करने के उपरान्त पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण छेदा, विशनू, राममोहन व रामबाबू को धारा 452,323 भा.दं.सं. में विचारण हेतु तलब किया गया । तलब अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित आये उनके द्वारा अपनी जमानतें कराई गई।

परिवादिनी ने धारा 244 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत स्वयं को बतौर पी.डब्लू–1 परीक्षित कराया है। आरोप के बिन्दु पर उभय पक्ष को सुनने के उपरान्त अभियुक्तगण छेदा, विष्णु, राममोहन व रामबाबू के विरूद्व दिनांक 27.2.2019 धारा 452,323 भा0दं0सं0 का आरोप बनना पाये जाने पर आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया तथा विचारण की मॉग की।

धारा 246 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परिवादिनी तपेश्वरी ने स्वयं को बतौर पी.डब्लू–1परीक्षित कराया है। तत्पश्चात् अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। जिसमें घटना को गलत बताया तथा अपने कथन में कुछ नहीं कहा ।

परिवादिनी व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

धारा 244 दं0प्र0सं0 में स्वयं को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुये परिवादिनी तपेश्वरी के द्वारा अपने परिवादपत्र के कथनो का समर्थन करते हुये कथन किया है कि..... अर्सा करीब तीन वर्ष का हो गया समय करीब 11 बजे दिन में मैं घर में अकेली थी उसी समय गांव के छेदा पुत्र रग्घा, विशनू, रामबाबू व राममोहन पुत्रगण छेदा साथ में दो अन्य व्यक्ति हाथ में असलसहा व लाठी डन्डा लेकर मेरे घर में घुस आये भददी भददी गालियां देने लगे मना करने पर लाठी डन्डा से मारने लगे मारपीट से मुझे चोटे आई थी। मैं गिर गई थी। मेरे शोर पर मेरे गावं के सुभाष, तेजवीर, राकेश व गांव के अन्य लोग आ गये थे। बीच बचाव किया था तब उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी देकर चले गये । थाने उसी दिन गई थी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और न डाक्टरी कराई गई थी । उकसे बाद मैने स्वयं सरकारी अस्पताल उन्नाव में डाक्टरी कराई थी। मैने कप्तान साहब को प्रार्थनापत्र दिया था । जानवरो को लेकर एक दिन भी मारपीट हुई थी।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गई। प्रतिपरीक्षा 246 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत साक्षी ने कहा है कि घटना आज से तीन वर्ष पूर्व के ऊपर की है। समय लगभग 11–12 बजे दिन का है। मैं घर में अकेली थी । मेरे गावं के ही छेदा पुत्र रग्घा, विशनू, रामबाबू व राममोहन पुत्रगण छेदा आदि उसी समय घर के सामने आकर खेत में जानवर चराने को लेकर कहासुनी हुई थी। शोर सुनकर काफी भीड़ इकटठा हो गई थी। भीड़ में ही मुझे धक्का लग जाने के कारण मेरे हाथ मे चोट आई थी। अभियुक्तगणो घर में घुस कर मुझे मारापीटा नहीं था ।

इस प्रकार परिवादिनी ने अपने परिवाद कथानक को साबित करने हेतु स्वयं को बतौर पी0डब्लू–1 परीक्षित कराया गया है। यद्यपि गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिवादपत्र के कथनो का समर्थन किया है किन्तु प्रतिपरीक्षा में अभियुक्तगण छेदा, विशनू, रामबाबू व राममोहन द्वारा घर में घुसकर मारने पीटने के बाबत इन्कार किया है। इस तरह गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में किये गये बयानो में घोर विरोधाभास है इसलिये गवाह की साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता । जिस कारण वश उक्त साक्ष्य संदेहास्पद हो जाती है। इसके अतिरिक्त परिवादिनी की ओर से किसी अन्य गवाह को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूॅ कि परिवादिनी अभियुक्तगण छेदा, विशनू रामबाबू व राममोहन के विरूद्व लगाये गये आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है । अतः अभियुक्तगण उपरोक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है ।

आदेश

अभियुक्तगण छेदा, विशनू रामबाबू व राममोहन को धारा 452,323 भा0दं0सं0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है उनके बन्धपत्र निरस्त एवं प्रतिभूगण को उनके उत्तरदायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में बीस– बीस हजार रूपये की एक–एक प्रतिभू व समराशि का निजीबन्धपत्र अपील की दशा में अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु एक सप्ताह के अन्दर दाखिल करने हेतु आदेश किया जाता है ।

दिनांक–13.5.2019

(सौरभ श्रीवास्तव),
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट संख्या–4,उन्नाव।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षंरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांक–13.5.2019

(सौरभ श्रीवास्तव),
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट संख्या–4,उन्नाव।